

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph/FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.3(1)(1)नपा/रानिआ/2015/ 388/

दिनांक: 01.05.2015

जिला निर्वाचन अधिकारी, (नगरपालिका) (कलक्टर),
समस्त (जिला बाडमेर को छोडकर)

विषय:-नगरपालिका आम चुनाव, 2015 – निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु कार्यक्रम एवं विस्तृत दिशा-निर्देश।

महोदय,

राज्य की 126 नगरपालिकाओं का कार्यकाल माह अगस्त, 2015 में समाप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त भरतपुर जिले की 8 नगरपालिकाओं का कार्यकाल माह दिसम्बर, 2015, राजसमंद, टोडारायसिंह व मालपुरा नगरपालिकाओं का कार्यकाल माह जनवरी, 2016 में तथा झुंझुनू जिले की विद्याविहार नगरपालिका का कार्यकाल माह मार्च, 2016 में पूर्ण हो रहा है। इसके अतिरिक्त चार नवगठित नगरपालिकाओं (अलवर जिले की किशनगढ़ बास, भरतपुर जिले की रूपवास, कोटा जिले की ईटावा एवं नागौर जिले की डेगाना) के चुनाव भी माह अगस्त, 2015 में कराना संभावित है। नगरपालिकाओं की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। इन नगरपालिकाओं के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व इनके एवं नवगठित नगरपालिकाओं के आम चुनाव कराए जाने हैं। आम चुनावों से पूर्व मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 से 15 तथा राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के अनुसार करवाया जाना है। नगरपालिका वार्डों की निर्वाचक नामावलियों को जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रणाधीन रहते हुये तैयार करने, प्रकाशित करने तथा उनके संबंध में प्राप्त दावों और आक्षेपों का निस्तारण कर मतदाता सूचियों को अंतिम रूप से तैयार करने का दायित्व उक्त अधिनियम की धारा 13(1) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदामिहित किए गए अधिकारियों का है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक नगरपालिक बोर्ड/परिषद/निगम के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों तथा उनकी सहायतार्थ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को अपने आदेश संख्या एफ. 3(1)(1)/नपा/रानिआ/14/2345 दिनांक 26.05.2014 (परिशिष्ट-2) के द्वारा नियुक्त किया जा चुका है।

राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 16 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत आयोग ने यह निर्णय लिया है कि आगामी चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01.01.2015 के आधार पर करवाया जाएगा किन्तु प्रारूप प्रकाशन वर्तमान नगरपालिका मतदाता सूचियों के स्थान पर विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूची, 2015 के डेटाबेस के आधार पर नगरपालिका की वार्ड/भागवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करवाकर, उनसे करवाया जाए।

A- विधान सभा की मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर नगरपालिका की वार्ड/भागवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया :-

1. आयोग स्तर पर नियुक्त स्टेट लेवल एजेन्सी (SLA) मैसर्स अल्टीमेट इनफॉर्मेशन टेक्नोलोजी प्रा. लिमिटेड द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर के माध्यम से विधानसभा की मतदाता सूचियों के डेटाबेस को नगरपालिका के वार्ड/भाग के रूप में विभाजित किया जाएगा। विभाजन की इस प्रक्रिया के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होगी। ये सूचनाएं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रणाली के माध्यम से तैयार करवाएंगे। इन सूचनाओं के संकलन के लिए प्रपत्र-B एवं C (परिशिष्ट-3 एवं 4) तैयार किए गए हैं, जो संलग्न हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रपत्रों को आवश्यकतानुसार फोटो प्रति करा काम में लिया जा सकता है।
2. उक्त प्रपत्र B एवं C की अपलोडिंग के लिए SLA द्वारा आपको एक वेब एप्लीकेशन e-suchi जिसका URL-esuchi.rajasthan.gov.in है, उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यूजर नेम एवं पासवर्ड दिया जाएगा। उक्त प्रपत्रों की अपलोडिंग की प्रक्रिया हेतु

आयोग स्तर पर प्रत्येक जिले के लिए एक एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (ACP) को जिले के मास्टर ट्रेनर के रूप में तथा प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय के लिए एक सूचना सहायक (IA) एवं संबंधित लिपिक को प्रशिक्षण दिया जाएगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय स्तर उक्त कार्य हेतु किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर मास्टर ट्रेनर की सहायता ली जा सकेगी। मास्टर ट्रेनर का भी यह दायित्व होगा कि वह जिले में उक्त कार्य को सही एवं समय पर सम्पन्न कराए।

3. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर उक्त सूचनाओं के संकलन एवं मतदाता सूची संबंधी आगामी समस्त तैयारी हेतु प्रगणकों की नियुक्ति की जाएगी। जहां तक संभव हो निर्वाचन विभाग द्वारा नियुक्त BLO को प्रगणक के रूप में नियुक्त किया जाए। प्रगणकों की नियुक्ति में यह ध्यान रखा जाए कि संबंधित कर्मचारी किसी राजनीतिक दल एवं राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त/संलग्न नहीं हो।
4. प्रशिक्षण के तुरन्त बाद ही सूचना संकलन का वास्तविक कार्य शुरू कर दिया जाना चाहिए। यह समस्त कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मुख्यालय पर ही प्रगणकों को एक ही स्थान पर एकत्रित कर करवाया जाए ताकि यदि किसी विधानसभा की निर्वाचक नामावली के भाग में एक से अधिक वार्डों के मतदाता सम्मिलित हो तो प्रगणक उनके बारे में एक दूसरे को जानकारी देकर उन्हें नगरपालिका के लिए अलग-अलग वार्डों/भागों में विभाजित कर लें। यह ध्यान रखा जाए कि नगरपालिका वार्ड के किसी भाग में दो वार्डों के मतदाता सम्मिलित नहीं रहें। उपर अंकित प्रपत्र में सूचना संकलित करने की प्रक्रिया में प्रगणकों को विधानसभा की मतदाता सूची, वार्डों का सीमांकन (परिसीमन) के आदेश की प्रति वार्ड का नक्शा तथा यदि वार्डों को भागों में विभक्त करने की आवश्यकता है तो प्रत्येक भाग का नजरी नक्शा तथा नगरपालिका की वर्तमान मतदाता सूची की आवश्यकता होगी जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों को उपलब्ध करवाए जाएंगे।
5. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि परिसीमन आदेश में जो सीमाएं अंकित हैं और उससे यह पता नहीं चले कि कौन-कौन सी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला उस वार्ड में हैं तथा वार्ड के नक्शे में भी यह पूरी तरह अंकित नहीं हो तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका की वर्तमान मतदाता सूची के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि वार्ड में कौन-कौन सी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला हैं। इन सूचियों में कहीं-कहीं इनका नाम अंकित होने से छूटा हुआ हो सकता है। इस स्थिति में नगरपालिका की वर्तमान वोटर लिस्ट में मकान संख्या की नई श्रृंखला शुरू हो रही हो तो उनके वोटर्स के नामों का विधानसभा की मतदाता सूची के संबंधित भाग के वोटर्स के नामों की एकरूपता के आधार पर बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला का नाम पता लगाया जा सकता है। वार्ड में कौन-कौन सी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला हैं यह पता लगाया जाना इसलिए आवश्यक है कि विधानसभा की मतदाता सूची के भाग, अनुभागों में विभाजित हैं जिनमें किसी ना किसी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला के पूर्ण अथवा आंशिक भाग के मतदाता सम्मिलित हैं। इससे यदि वार्ड में कौन-कौन सी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला हैं, इसकी जानकारी है तो यह पता लगाने में आसानी होगी कि विधान सभा के किस भाग के मतदाता किस वार्ड से संबंधित हैं। किन्तु जिन नगरपालिकाओं के वार्डों का नवीन परिसीमन जनसंख्या जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार हो गया है वहां परिसीमन के आदेश में अंकित बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला/गली के आधार पर यह पता लगाया जावे कि विधानसभा की मतदाता सूची के किसी भाग के मतदाता किस वार्ड या वार्डों से संबंधित है।
6. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्रगणक सर्वप्रथम विधानसभा की मतदाता सूची के कौन-कौन से भाग किस वार्ड में सम्मिलित हैं, ये पता लगाएंगे। यदि इस कार्य में किसी तरह की कठिनाई महसूस हो तो नगरपालिका कार्यालय के कर्मचारियों की सहायता ली जाए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए उचित रहेगा कि प्रगणकों के प्रशिक्षण के दिन नगरपालिका के कर्मचारियों को भी उक्त प्रशिक्षण में बुला लिया जाए।



7. उक्त प्रपत्र B एवं C में सूचनाएं निम्न प्रकार अंकित की जाएंगी :-

प्रपत्र-B (परिशिष्ट-3)

- प्रपत्र-B में ऊपर जिले का नाम, नगरपालिका का नाम, संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सूचना सहायक का नाम, ई-मेल एवं मोबाईल नंबर लिखा जाएगा।
- कॉलम नं. 1 क्रम संख्या से संबंधित है।
- कॉलम नं. 2 में विधान सभा की संख्या अंकित की जाएगी।
- कॉलम नं. 3 एवं 4 में विधानसभा के उन भागों की संख्या अंकित की जानी है जो उस नगरपालिका में सम्मिलित है, जिसके लिए यह प्रपत्र भरा जा रहा है।
- यदि विधानसभा का कोई भाग आंशिक रूप से नगरपालिका में सम्मिलित है तो उस भाग की संख्या के आगे 'आंशिक' शब्द अंकित किया जाएगा।

प्रपत्र-C (परिशिष्ट-4)

- कॉलम सं. 1 में क. सं. अंकित की जानी है।
 - कॉलम सं. 2 व 3 में विधान सभा संख्या एवं भाग संख्या अंकित की जानी है।
 - कॉलम सं. 4 एवं 5 में कॉलम संख्या 6 व 7 में अंकित नगरपालिका के वार्ड/भाग से संबंधित मतदाताओं की क्रम संख्या (विधानसभा मतदाता सूची के अनुसार) अंकित की जानी है।
 - कॉलम सं. 6 व 7 में नगरपालिका के वार्ड/भाग की संख्या अंकित की जानी है।
 - कॉलम सं. 8 में नगरपालिका के वार्ड/भाग से संबंधित, कॉलम 4 एवं 5 में अंकितानुसार मतदाताओं की कुल संख्या अंकित की जानी है।
8. इसके अतिरिक्त विधान सभा के डेटा बेस को नगरपालिका के वार्ड/भाग वार तैयार करने एवं आपको उपलब्ध वेब एप्लीकेशन e-suchi में सूचनाओं की फीडिंग में सहायता हेतु एक 'ऑपरेशन मैनुअल' (परिशिष्ट-5) तैयार किया गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा उक्त कार्य में नियोजित संबंधित कार्मिक इस 'ऑपरेशन मैनुअल' का मली-भांति अध्ययन कर लें ताकि इस कार्य को सुगमता से संपादित किया जा सके।
9. यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि आयोग ने आगामी नगरपालिका निर्वाचन के संबंध में यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक भाग में सामान्यतः 1400 मतदाता रखे जाए। चूंकि विधानसभा की मतदाता सूचियों के प्रत्येक भाग में भी भारत निर्वाचन आयोग ने यही मापदण्ड निर्धारित किए हुए हैं। इसलिए विधानसभा की मतदाता सूची के अधिकांश भाग नगरपालिका के वार्डों के भागों के समरूप ही होंगे।
10. नगरनिगम/नगरपरिषद अथवा बड़ी नगरपालिकाओं में जहां वार्ड भागों में विभाजित किए जायेंगे, वहां विधानसभा की मतदाता सूची के वे भाग जो पूरे-पूरे उसी वार्ड में सम्मिलित हैं, को यथावत नगरपालिका के वार्ड के भाग के रूप में मान लिया जाएगा तथा उसका वही मतदान केन्द्र निर्धारित कर दिया जाएगा जो विधानसभा/लोकसभा चुनाव के दौरान निर्धारित किया गया था। अधिकांश मामलों में यही संभावना रहेगी। सिर्फ विधानसभा के वे भाग जिनके नगरपालिका के दो या अधिक वार्डों के मतदाता हैं, वहां विधानसभा के भाग के मतदाताओं की क्रम संख्या को वार्ड की सीमा तक विभाजित किया जाएगा तथा नगरपालिका के लिए उक्त विधानसभा के भाग से दो या अधिक, जैसी भी स्थिति हो, नगरपालिका के भाग सृजित कर दिए जाएंगे। अथवा यदि इस प्रकार सृजित हो रहे किसी भाग में मतदाताओं की संख्या कम है तो नगरपालिका का नवीन भाग नहीं बनाया जाकर उसी वार्ड के किसी निकटस्थ भाग में उन्हें सम्मिलित कर लिया जाएगा।

11. आयोग द्वारा उक्त समस्त कार्य की समय सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	निर्धारित तिथि
1.	आयोग स्तर पर विधानसभा के डेटाबेस को e-suchi पर अपलोड करना	03.05.2015
2.	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों की नियुक्ति	10.05.2015
3.	आयोग स्तर पर मास्टर ट्रेनर (ACP), सूचना सहायक एवं लिपिक का प्रशिक्षण कार्यक्रम	12.05.2015 से 16.05.2015
4.	जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर (ACP) द्वारा ERO/AERO एक दिन का प्रशिक्षण	14.05.2015 से 18.05.2015 के मध्य
5.	प्रगणकों का प्रशिक्षण एवं विधानसभा के डेटा को विभाजित करने से संबंधित सूचना तैयार करने का कार्य	21.05.2015 तक
6.	मतदाता सूचियां तैयार करने हेतु विभाजित डेटाबेस की फीडिंग	22.05.2015 से 30.05.2015 तक
7.	तैयार मतदाता सूचियों का पीडीएफ फॉर्मेट तैयार करना	31.05.2015 से 09.06.2015 तक
8.	मतदाता सूचियों के पीडीएफ फॉर्मेट का लेजर प्रिंट तैयार करना	10.06.2015 से 12.06.2015 तक

12. आयोग को इस प्रकार प्राप्त सूचनाओं के आधार पर SLA द्वारा विधानसभा की मतदाता सूचियां के डेटाबेस के आधार पर नगरपालिकाओं की वार्डवार/भागवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जो Softcopy में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को प्रूफ रीडिंग एवं उनके द्वारा प्रस्तुत संकलित सूचना के अनुसार तैयारी की गई हैं अथवा नहीं, की जांच के लिए भेजी जाएगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी इसका सत्यापन करवाकर आयोग की वेबसाइट पर संशोधनों की सूचना के साथ अपलोड करेंगे। इस प्रकार प्राप्त संशोधनों को समाहित करते हुए नगरपालिका की वार्डवार/भागवार मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जिसको आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। उक्त सूचियों का आवश्यकतानुसार लेजर प्रिंटर से प्रिंट (Hardcopy) लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन करवाएंगे।
13. निर्वाचनों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए मतदाता सूचियों का शुद्ध एवं अद्यतन होना आवश्यक है, अर्थात् प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही विवरण के साथ अंकित हो। इसका दायित्व प्रगणक से शुरू होकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक का है। इस हेतु मतदाता सूची के तैयारी के हर स्तर पर पूर्ण सावधानी एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के यह निर्देश हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के स्तर से मतदाता सूचियों का निकटता एवं गहनता से पर्यवेक्षण किया जाए।
14. निर्वाचनों के समय मतदाता सूची में नाम नहीं होने, यहां तक की कहीं-कहीं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम तथा एक बड़े क्षेत्र यथा मौहल्ला, गली के मतदाताओं के नाम गायब हो जाने की शिकायत मिलती है। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद बहुतायात में मतदाताओं द्वारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कुछ समय पूर्व हुई विधानसभा व लोकसभा चुनावों हेतु किया गया होता है। इसके लिए मतदाता सूची तैयार करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया से विभिन्न स्तर पर अपने दायित्वों का सजगता से निर्वहन करने एवं उचित पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।



B. मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगी:-

क. सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	13.06.2015 को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वार्ड/मतदान केन्द्रों पर पठन	13 व 14.06.2015
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	22.06.2015 को
4.	विशेष अभियान की तिथियाँ	14, 20 एवं 21.06.2015
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	30.06.2015 तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	10.07.2015 तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	20.07.2015 को

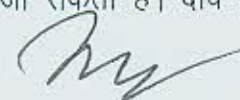
नोट:- प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूचियों पर प्राप्त दावों व आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् तैयार पूरक सूचियों का पीडीएफ फॉर्मेट तैयार करने हेतु तिथि 17.07.2015 एवं इनका लेजर प्रिंट तैयार करने हेतु दिनांक 18.07.2015 से 19.07.2015 तक की अवधि निर्धारित की जाती है।

C. सामान्य निर्देश :-

1. नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-13(5) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है जिसकी आयु अर्हता की तिथि को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा जो संबंधित वार्ड का मामूली तौर पर निवासी हो। मामूली तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण धारा-13(5) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को दिनांक 01.01.2015 को अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाना है, इसलिए जिस व्यक्ति की आयु 01.01.2015 को 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र नहीं है।
2. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 13(6) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम नगरपालिका में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता तथा धारा 13(7) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। यह सम्भव है कि नगरपालिका क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम त्रुटिवश एक से अधिक बार सम्मिलित हो गया हो ऐसे व्यक्ति का नाम उसी एक स्थान पर रहने दिया जावे, जहां के लिए वह पात्र है तथा शेष स्थानों से उसका नाम काट दिया जाए। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाए, जो भारतीय नागरिक नहीं है।
3. निर्वाचक नामावली वार्डवार तैयार की जायेगी। निर्वाचक नामावली के प्रारूप में आयोग द्वारा परिवर्तन किया गया हैं। प्रत्येक भाग की मतदाता सूची के उपर एक कवर पेज होगी जिसमें वार्ड/भाग से संबंधित विवरण होगा। इसके साथ भाग का नजरी नक्शा होगा तथा मतदाता सूची उसी प्रारूप में तैयार की जाएगी जैसा कि विधानसभा की मतदाता सूची का प्रारूप निर्धारित हैं। सिर्फ शीर्षक में परिवर्तन किया जाएगा शीर्षक में नगरपालिका का नाम एवं मतदाता सूची का वर्ष, विधानसभा क्षेत्र संख्या, नगरपालिका का वार्ड संख्या तथा भाग संख्या, मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक अंकित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जहां से भी नई कॉलोनी/बस्ती/मौहल्ला शुरू होगा उक्त विवरण के नीचे उसका नाम अंकित किया जाएगा। निर्वाचक नामावली में प्रत्येक पृष्ठ पर दोनो तरफ 30-30 मतदाताओं के नाम अंकित होंगे। इस तरह एक पृष्ठ पर कुल 60 नाम अंकित किए जाएंगे। निर्वाचक नामावली का प्रारूप संलग्न परिशिष्ट-6 में बताया गया है।
4. नगरपालिका निर्वाचक नामावली को सुविधाजनक भागों में विभक्त किया जायेगा। एक भाग में सामान्यतः 1400 मतदाताओं के नाम सम्मिलित किये जाएंगे। प्रत्येक वार्ड में एक से अधिक भाग हो

सकते हैं किन्तु एक भाग में एक से अधिक वार्ड के मतदाता किसी भी स्थिति में नहीं होंगे। प्रत्येक भाग के लिए पृथक मतदान केन्द्र होगा। इसका आशय यह है कि नगरपालिका निर्वाचक नामावलियों का भाग तथा मतदान केन्द्र का क्षेत्र समरूप (Coterminous) होंगे। प्रत्येक भाग का क्रमांक-1 से प्रारम्भ होगा। नगरपालिका के ऐसे वार्ड, जिनमें 1400 से कम मतदाता हैं, में एक ही मतदान केन्द्र पर्याप्त रहेगा। अतः ऐसे वार्डों को भागों में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार यदि किन्नर (ट्रांस जेण्डर) एवं लिंग रूपान्तरक (सेक्स चेंजर) मतदाता अपने आप को स्त्री अथवा पुरुष के रूप में प्रकट नहीं करना चाहे तो वे अपना लिंग 'अन्य' के रूप में वर्णित कर सकते हैं। उक्त प्रकार के मतदाताओं द्वारा चाहे जाने पर उनके लिंग के कॉलम में 'अन्य' अंकित किया जाए। आयोग द्वारा इस हेतु संबंधित सभी प्रपत्रों में यथा स्थान आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।
6. चूंकि नगरपालिका प्रारूप मतदाता सूचियों में मतदान केन्द्र के विवरण का भी अंकन किया जाता है, अतः मतदान केन्द्र भी प्रारूप मतदाता सूचियों के तैयार होने से पूर्व ही निर्धारित कर लिये जाये। मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आयोग ने परिपत्र संख्या एफ 4(3)(1)नपा/रानिआ/09/2579 दिनांक 16.06.2014 (नगरपालिका चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन पुस्तिका, 2014 के पृष्ठ संख्या 44-47 पर उपलब्ध) से मापदण्ड निर्धारित कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित कर दिए गए हैं। जहां तक संभव हो, मतदान केन्द्र वे ही रखे जावे जो लोकसभा/विधानसभा चुनावों में रखे गए थे, ताकि मतदाता के लिए मतदान केन्द्र की पहचान आसान हो सके।
7. राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड-8 के अनुसार मुद्रित सूचियों से निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन की सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी व नगरपालिका कार्यालयों के सूचना पट्टों पर तथा वार्ड में सहज दृश्य कम से कम दो स्थानों पर किया जायेगा। प्रकाशित होने वाला नोटिस उपरोक्त आदेश, 1974 में प्रारूप-2 में विहित किया हुआ है। वार्डों की निर्वाचक नामावलियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी और नगरपालिका के कार्यालयों में निरीक्षण हेतु भी उपलब्ध रखी जावेगी।
8. दिनांक 13 से 22 जून तक दावे व आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित है। ये दावे व आपत्तियाँ प्रारूप 3, 4, 5 या 6 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उक्त अवधि में प्रस्तुत करने के प्रावधान हैं। मतदान केन्द्रों के लिये पदाभिहीत अधिकारियों की नियुक्ति भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से मतदान केन्द्रों पर उक्त अवधि में दावे और आपत्तियाँ प्राप्त कर सकेंगे। प्रणको को भी पदाभिहीत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
9. तैयार प्रारूप मतदाता सूची की प्रति सभी पदाभिहित अधिकारियों को उपलब्ध करवाकर दिनांक 13 व 14 जून, 2015 को नगरनिगम/परिषद/बोर्ड के वार्ड/मतदान केन्द्रों पर वार्ड सभायें आयोजित कर संबंधित भागों की निर्वाचक नामावलियों का पठन किया जायेगा तथा मतदाता सूची निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी, ताकि मतदाता इन निर्वाचक नामावलियों का अवलोकन कर या सुनकर नामावली की किसी प्रविष्टि के विवरण के संबंध में यदि कोई दावा/आपत्ति है तो मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान तिथियों में अथवा दिनांक 13.06.2015 से 22.06.2015 के बीच अन्य तिथियों को आवेदन पत्र भरकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित अधिकारियों को दे सकें। अतः यह सुनिश्चित करलें कि अभियान तिथियों को पदाभिहित अधिकारियों के पास पर्याप्त मात्रा में संबंधित आवेदन पत्र (प्रारूप 3, 4, 5 एवं 6) उपलब्ध हैं। पठन-पाठन के उक्त कार्यक्रम में नगरपालिकाओं के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे व क्षेत्र के लोगो को कार्यक्रम की जानकारी भी देंगे।
10. उपरोक्त आदेश के खण्ड-9 के अनुसार दावे व आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का समय 10 दिन निश्चित है और इन्हें निर्धारित प्रारूप-3, 4, 5 और 6 में प्रस्तुत किया जा सकता है। दावे व आपत्तियाँ डाक



द्वारा भी भेजी जा सकती हैं। प्राप्त दावों व आपत्तियों की संक्षिप्त जांच की जाकर उनका निस्तारण किया जायेगा। प्ररूप 3, 4, 5 और 6 का वितरण निःशुल्क किया जाए। इस संबंध में आयोग द्वारा परिपत्र सं. प.4(1)(6)नपा/रानिआ/94/300 दिनांक 14.10.94 जारी किया हुआ है।

11. मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियों प्रस्तुत करने के लिए विशेष अभियान तिथियाँ दिनांक 14.06.15, 20.06.15 एवं 21.06.15 निर्धारित की गई हैं। इन दिनों पदाभिहीत अधिकारी पूरे दिवस को प्रातः 9 बजे से सांय 6 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। शेष दिनों में आधा दिवस पूर्वान्ह या अपरान्ह में उपस्थित रहेंगे।
12. मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के प्रयोजन से आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि ये दावे/आपत्तियाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु मतदान केन्द्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त पदाभिहीत अधिकारियों को भी दिनांक 13.06.15 से 22.06.15 तक की अवधि के मध्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं। पदाभिहीत अधिकारी भी उसी दिन प्राप्त दावों व आपत्तियों की सूची मतदान केन्द्र पर प्रकाशित करेगा साथ ही मूल दावे व आपत्तियों को अपनी टिप्पणी सहित प्ररूप 8, 9, 10 (**परिशिष्ट कमशः 7, 8 एवं 9**) में सूची के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करेगा। पदाभिहीत अधिकारी के माध्यम से प्राप्त दावों व आपत्तियों व अन्य प्रकार से प्राप्त दावों व आपत्तियों की सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रतिदिन अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा तथा निर्वाचको का रजिस्ट्रीकरण आदेश 1974 के खण्ड-12 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
13. दावों व आपत्तियाँ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे दावों व आपत्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पास उसी दिन भेज दिया जावेगा।
14. दावों व आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया उक्त आदेश, 1974 के खण्ड-12 में बतायी गयी है। इसके अलावा खण्ड-13 व खण्ड-14 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से भी कार्य करने की प्रक्रिया बतायी गयी है। दावों व आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वविवेक से नाम जोड़े या हटाये जाने की प्रक्रिया के पश्चात् निर्वाचक नामावलियों की पूरक सूची भागवार तैयार की जायेगी और इसे आयोग की वेबसाईट पर इस हेतु उपलब्ध लिंक पर अपलोड करेंगे। इस प्रकार आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध निर्वाचक नामावली पूरक सूची सहित, से लेजर प्रिंट लेकर आवश्यकतानुसार फोटो प्रतियाँ कराकर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन उक्त आदेश, 1974 के खण्ड 15 के अनुसार किया जावेगा। अंतिम प्रकाशन के नोटिस का प्ररूप-7 आदेश में विहित है।
15. निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित रिकार्ड अर्थात् प्रारूप निर्वाचक नामावलियाँ, दावों/आपत्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उन पर दिया गया निर्णय और अंतिम रूप से तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों की प्रमाणित प्रति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा खण्ड-19 के प्रावधानों के अनुसार उसके कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।
16. मतदाताओं के वार्ड/भागवार आंकड़े प्रगणकों द्वारा तैयार कर निर्धारित प्रपत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे। इन आंकड़ों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के कार्यालय में एक पत्रावली खोलकर उसमें पत्रित किया जावेगा तथा **परिशिष्ट-10** पर बताये गये प्रपत्र (मतदाताओं की संख्या दावों/आपत्तियों के विवरण) में एक रजिस्टर वार्डवार संधारित किया जायेगा जिसमें नगरपालिका निर्वाचक नामावलियों से संबंधित आंकड़े यथा मतदाताओं की कुल संख्या, स्त्री, पुरुष मतदाताओं की संख्या अंकित की जाकर मय गोश्वारे के संकलित किये जायेंगे। निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उक्त रजिस्टर में संकलित आंकड़ों के आधार पर **परिशिष्ट-11** में सूचना तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी। इन आंकड़ों से यह पता चलेगा कि हाल में हुई लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची के तुलना में मतदाताओं में कितनी वृद्धि व कमी हुई है। असाधारण (Unusal) परिवर्तन की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं भी करें ताकि मतदाता सूची में

कोई गलती ना रहे। यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता सूची में पात्र व्यक्ति का नाम जुड़ने से रह नही जाए व अपात्र का नाम नहीं रहे।

17. आयोग के परिपत्र सं० 4(1)(6) नपा/रानिआ/94/299, दिनांक 14.10.94 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के समय तथा अंतिम प्रकाशन के समय नामावलियों का एक-एक सैट मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क वितरण किया जाए।
18. कार्यक्रम का विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की तिथियों व कार्यक्रम को समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से तथा इस आशय की सूचना हेतु पम्फलेट वितरित करवाकर प्रचारित किया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को कार्यक्रम की तिथियों सहित पूर्ण जानकारी देने हेतु शाला प्रधानों को निर्देशित किया जाए, ताकि विद्यार्थी अपने परिवारजनों को अवगत करा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अपने-अपने स्तर पर राजनैतिक दलों/स्वयं सेवी संस्थाओं की बैठक आयोजित कर उन्हें मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के कार्य से जोड़े ताकि सभी योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें।
19. मतदाता सूची तैयारी, प्रारूप प्रकाशन व अंतिम प्रकाशन में कम्प्यूटर स्टेशनरी व आवश्यक सामग्री क्रय हेतु प्रारम्भिक बजट का आवंटन यथा समय कर दिया जाएगा। मतदाता सूची की प्रारम्भिक तैयारी में लगे प्रगणकों व अन्य स्टॉफ को उचित पारिश्रमिक भुगतान के आदेश भी आयोग द्वारा यथा शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे।

निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) आदेश, 1974 में उपलब्ध विधिक प्रावधानों एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

आयोग की समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से अपेक्षा है कि वे अपने कार्य को उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार समय पर सम्पन्न करेंगे। लेकिन यदि फिर भी नाम छूटने या गलत नाम जुड़ने की व्यापक शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आयोग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 20 के अन्तर्गत संबंधित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। इस धारा के प्रावधान को जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के ध्यान में लाए।

संलग्न: उपरोक्तानुसार


(सत्यप्रकाश बसवाल)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, 11/5/15

क्रमांक: एफ.3(1)(1)नपा/रानिआ/2015/ 3882-93
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक: 01-05-2015

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज०, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
5. निजी सहायक, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
6. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका
.....।
9. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,।
10. समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,।
11. समस्त अधिकारीगण, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त शाखाएं, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव,

138 एवं 4 नवगठित नगरपालिकाओं की सूची जिनके आम चुनाव अगस्त, 2015, दिसम्बर, 2015, जनवरी 2016 एवं मार्च 2016 में कराये जाने हैं

जिले की क. सं.	जिले का नाम	नपा की क. सं.	नगरपालिका का नाम	जिले की क. सं.	जिले का नाम	नपा की क. सं.	नगरपालिका का नाम
1	2	3	4	6	7	8	9
1	अजमेर	1	अजमेर (नगर निगम)	9	प्रतापगढ़	40	प्रतापगढ़ (न.परिषद)
		2	किशनगढ़ (न.परिषद)			41	छोटी सादडी
		3	विजयनगर	10	चित्तौड़गढ़	42	बडी सादडी
		4	केकडी			43	कपासन
		5	सरवाड			44	बेगूं
2	अलवर	6	राजगढ़	11	चुरू	45	रतनगढ़
		7	खेडली			46	सुजानगढ़ (न.परिषद)
		8	तिजारा			47	सरदारशहर
		9	खैरथल			48	छापर
		10	बहरोड			49	बीदासर
		11	किशनगढ़बास (नवगठित)			50	रतननगर
3	बांसवाड़ा	12	कुशलगढ़			51	तारानगर
4	बीकानेर	13	नोखा			52	राजलदेसर
		14	देशनोक	12	डूंगरपुर	53	डूंगरपुर (न.परिषद)
		15	श्री डूंगरगढ़			54	सागवाड़ा
5	भीलवाड़ा	16	भीलवाड़ा (न.परिषद)	13	धौलपुर	55	धौलपुर (न.परिषद)
		17	शाहपुरा			56	बाडी
		18	जहाजपुर			57	राजाखेड़ा
		19	माण्डलगढ़	14	दौसा	58	दौसा (न.परिषद)
		20	गंगापुर			59	बांदीकुई
		21	आसीन्द			60	लालसोट
		22	गुलाबपुरा	15	हनुमानगढ़	61	संगरिया
6	भरतपुर	23	कुम्हेर			62	नोहर
		24	डीग			63	भादरा
		25	नगर			64	रावतसर
		26	कांमां			65	पीलीबंगा
		27	बयाना	16	श्रीगंगानगर	66	रायसिंहनगर
		28	वैर			67	गजसिंहपुर
		29	भुसावर			68	केसरीसिंहपुर
		30	नदबई			69	श्रीकरणपुर
		31	रूपवास (नवगठित)			70	अनूपगढ़
7	बांरा	32	बांरा (न.परिषद)			71	श्री विजयनगर
		33	अन्ता			72	सादुलशहर
8	बूंदी	34	बूंदी (न.परिषद)			73	पदमपुर
		35	लाखेरी	17	जैसलमेर	74	पोकरण
		36	केशोरायपाटन	18	जालौर	75	सांचौर
		37	नैनवां				
		38	कापरेन				
		39	इन्द्रगढ़				

जिले की क. सं.	जिले का नाम	नपा की क. सं.	नगरपालिका का नाम	जिले की क. सं.	जिले का नाम	नपा की क. सं.	नगरपालिका का नाम
1	2	3	4	6	7	8	9
19	जयपुर	76	चौमू	25	पाली	113	सोजत सिटी
		77	सांभर			114	सादडी
		78	चाकसू			115	बाली
		79	कोटपूतली			116	तखतगढ़
		80	फुलेरा			117	रानीखुर्द
		81	शाहपुरा			118	जैतारण
		82	विराटनगर			119	फालना स्टेशन
		83	जोबनेर	26	राजसमन्द	120	राजसमन्द (न.परिषद)
		84	बगरू			121	देवगढ़
		85	किशनगढ़-रेनवाल	27	सवाईमाधोपुर	122	सवाईमाधोपुर (न.परिषद)
20	झालावाड़	86	झालावाड़ (न.परिषद)			123	गंगापुरसिटी (न.परिषद)
		87	भवानीमण्डी	28	करौली	124	हिण्डौन (न.परिषद)
		88	झालरापाटन			125	करौली (न.परिषद)
		89	पिडावा			126	टोडाभीम
		90	अकलेरा	29	सीकर	127	फतेहपुर
21	झुन्झुनू	91	नवलगढ़			128	लक्ष्मणगढ़
		92	चिडावा			129	रामगढ़ शेखावाटी
		93	बग्गड			130	श्रीमाधोपुर
		94	खेतडी			131	खण्डेला
		95	मण्डावा			132	रींगस
		96	मुकुन्दगढ़			133	लोसल
		97	सूरजगढ़	30	सिरोही	134	आबूरोड
		98	उदयपुरवाटी	31	टोंक	135	निवाई
		99	विद्याविहार			136	मालपुरा
22	जोधपुर	100	पिपाडसिटी			137	देवली
		101	बिलाडा			138	टोडारायसिंह
23	कोटा	102	रामगंजमण्डी			139	उनियारा
		103	ईटावा (नवगठित)	32	उदयपुर	140	फतेहनगर
24	नागौर	104	नागौर (न.परिषद)			141	भीण्डर
		105	लाडनू			142	सलूम्वर
		106	मेडतासिटी				
		107	कुचामनसिटी				
		108	परबतसर				
		109	नावां				
		110	कुचेरा				
		111	मूण्डवा				
		112	डेगाना (नवगठित)				

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक:एफ.1(3)(1)न.पा./रानिआ/94/1/ 2345

दिनांक: 26/5/11

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्या - 18) की धारा 13 की उप धारा (1) एवं (3) के उपबन्धों के अनुसरण में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग निम्नांकित सारणी के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य के जिले में स्थित सारणी के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट नगरपालिका क्षेत्र के लिए स्तम्भ-4 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं सारणी के स्तम्भ-5 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है :-

सारणी

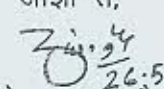
क. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका/परिषद/निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	अजमेर	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (सिटी) अजमेर (विधानसभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में सम्मिलित वार्ड हेतु) 2. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्या) अजमेर (विधानसभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में सम्मिलित वार्ड हेतु)	1. तहसीलदार, अजमेर 2. सहायक नू-प्रबंध अधिकारी, अजमेर
		ब्यावर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर	तहसीलदार, ब्यावर
		किशनगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़	तहसीलदार, किशनगढ़
		विजयनगर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नमूदा	तहसीलदार, विजयनगर
		सरवाड़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सरवाड़	तहसीलदार, सरवाड़
		केकड़ी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, केकड़ी	तहसीलदार, केकड़ी
		पुष्कर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पुष्कर	तहसीलदार, पुष्कर
2.	अलवर	अलवर	उप खण्ड अधिकारी अलवर	तहसीलदार, अलवर
		बहरोड़	उप खण्ड अधिकारी, बहरोड़	तहसीलदार, बहरोड़
		तिजारा	उप खण्ड अधिकारी, तिजारा	तहसीलदार, तिजारा
		मिवाडी	उप खण्ड अधिकारी, तिजारा	तहसीलदार, तिजारा
		खैरथल	उप खण्ड अधिकारी, किशनगढ़ बास	तहसीलदार, किशनगढ़ बास
		राजगढ़	उप खण्ड अधिकारी, राजगढ़	तहसीलदार, राजगढ़
		खेड़ली	उप खण्ड अधिकारी, कटूमर	तहसीलदार, कटूमर
3.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा	तहसीलदार, बांसवाड़ा
		कुशलगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कुशलगढ़	तहसीलदार, कुशलगढ़
4.	बारां	बारां	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), बारां	तहसीलदार, बारां
		अन्ता	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), अन्ता	तहसीलदार, अन्ता
		छबड़ा	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), छबड़ा	तहसीलदार, छबड़ा
		मांगरोल	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), मांगरोल	तहसीलदार, मांगरोल
5.	बाड़मेर	बाड़मेर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	तहसीलदार, बाड़मेर
		बालोतरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा	तहसीलदार, पंचपदरा
6.	भरतपुर	भरतपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भरतपुर	तहसीलदार, भरतपुर
		कामा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कामा	तहसीलदार, कामा
		नगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नगर	तहसीलदार, नगर
		डीग	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डीग	तहसीलदार, डीग
		कुम्हेर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कुम्हेर	तहसीलदार, कुम्हेर
		नदबई	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नदबई	तहसीलदार, नदबई
		वैर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, वैर	तहसीलदार, वैर
		भुसावर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भुसावर	तहसीलदार, भुसावर
		बयाना	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बयाना	तहसीलदार, बयाना
7.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा	तहसीलदार, भीलवाड़ा
		आसीन्द	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आसीन्द	तहसीलदार, आसीन्द
		गंगापुर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गंगापुर	तहसीलदार, सहाड़ा नु गंगापुर
		शाहपुरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	तहसीलदार, शाहपुरा
		गुलाबपुरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा	तहसीलदार, हुरडा
		जहाजपुर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जहाजपुर	तहसीलदार, जहाजपुर
		माण्डलगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़	तहसीलदार, माण्डलगढ़

क. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका/परिषद/निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
8.	बीकानेर	बीकानेर	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), बीकानेर (बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 30 वार्ड हेतु)	तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर
			उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर (बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के 30 वार्ड हेतु)	तहसीलदार, भूअग्नि बीकानेर
		नोखा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा	तहसीलदार, नोखा
		देशनोक	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर	तहसीलदार, भूअग्नि, बीकानेर
9.	बून्दी	डूंगरगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरगढ़	तहसीलदार, डूंगरगढ़
		बून्दी	उप खण्ड अधिकारी, बून्दी	तहसीलदार, बून्दी
		नैनवां	उप खण्ड अधिकारी, नैनवां	तहसीलदार, नैनवां
		केशोरायपाटन	उप खण्ड अधिकारी, केशोरायपाटन	तहसीलदार, केशोरायपाटन
		कापरेन	उप खण्ड अधिकारी, तालेडा	तहसीलदार, तालेडा
		लाखेरी	उप खण्ड अधिकारी, लाखेरी	तहसीलदार, हिण्डोली
		इन्द्रगढ़	उप खण्ड अधिकारी, हिण्डोली	तहसीलदार, इन्द्रगढ़
10.	धितौड़गढ़	धितौड़गढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, धितौड़गढ़	तहसीलदार, धितौड़गढ़
		रावतभाटा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रावतभाटा	तहसीलदार, रावतभाटा
		कपासन	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन	तहसीलदार, कपासन
		बेगू	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बेगू	तहसीलदार, बेगू
		बडीसादडी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बडीसादडी	तहसीलदार, बडीसादडी
		निम्बाहेड़ा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, निम्बाहेड़ा	तहसीलदार, निम्बाहेड़ा
11.	धुरु	राजगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ़	तहसीलदार, राजगढ़
		तारानगर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, तारानगर	तहसीलदार, तारानगर
		सरदारशहर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सरदारशहर	तहसीलदार, सरदारशहर
		धुरु	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, धुरु	तहसीलदार, धुरु
		रतननगर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, धुरु	तहसीलदार, धुरु
		रतनगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रतनगढ़	तहसीलदार, रतनगढ़
		राजलदेसर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रतनगढ़	तहसीलदार, रतनगढ़
		सुजानगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़	तहसीलदार, सुजानगढ़
		छापर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़	तहसीलदार, सुजानगढ़
		बीदासर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बीदासर	तहसीलदार, बीदासर
12.	दीसा	दीसा	उप खण्ड अधिकारी, दीसा	तहसीलदार, दीसा
		लालसोट	उप खण्ड अधिकारी, लालसोट	तहसीलदार, लालसोट
		बांदीकुई	उप खण्ड अधिकारी, बांदीकुई	तहसीलदार, बसवा
13.	धौलपुर	धौलपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौलपुर	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, धौलपुर
		बाड़ी	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़ी	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बाड़ी
		राजाखेड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा
14.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर	तहसीलदार, डूंगरपुर
		सागवाड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा	तहसीलदार, सागवाड़ा
15.	श्रीगंगानगर	सादुलशहर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर	तहसीलदार, सादुलशहर
		गंगानगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गंगानगर	तहसीलदार, गंगानगर
		करणपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, करणपुर	तहसीलदार, करणपुर
		केशरीसिंहपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, करणपुर	तहसीलदार, करणपुर
		पदमपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर	तहसीलदार, पदमपुर
		गजसिंहपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर	तहसीलदार, पदमपुर
		रायसिंहनगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर	तहसीलदार, रायसिंहनगर
		विजयनगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, विजयनगर	तहसीलदार, विजयनगर
		अनूपगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़	तहसीलदार, अनूपगढ़
		सूरतगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़	तहसीलदार, सूरतगढ़

क्र. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका/परिषद/निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
16.	हनुमानगढ	हनुमानगढ	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ	1. तहसीलदार, हनुमानगढ 2. उप पंजीयक, हनुमानगढ
		पीलीबंगा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा	तहसीलदार, पीलीबंगा
		संगरिया	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया	तहसीलदार, संगरिया
		रावतसर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रावतसर	तहसीलदार, रावतसर
		नोहर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर	तहसीलदार, नोहर
		भादरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा	तहसीलदार, भादरा
17.	जयपुर	जयपुर विधानसभा क्षेत्र विद्याधरनगर (वार्ड सं. 1 से 10)	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आमेर मुख्यालय, जयपुर	उप पंजीयक (तृतीय), जयपुर
		झोटवाडा (वार्ड सं. 11 से 14)	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय, जयपुर	उप पंजीयक (वर्तुथ), जयपुर
		सिविल लाईन्स (वार्ड सं. 15 से 23)	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर-द्वितीय	उप पंजीयक (द्वितीय), जयपुर
		सांगानेर (वार्ड सं. 24 से 32)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांगानेर	उप पंजीयक (प्रथम), सांगानेर
		बगरु (वार्ड सं. 33 से 36)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (दक्षिण)	तहसीलदार, सांगानेर
		मालवीय नगर (वार्ड सं. 37 से 46)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (पूर्व)	उप पंजीयक (पंचम), जयपुर
		आदर्श नगर (वार्ड सं. 47 से 55)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (उत्तर)	तहसीलदार, जयपुर
		किशनपोल (वार्ड सं. 56 से 66)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर	उप पंजीयक (प्रथम), जयपुर
		हवामहल (वार्ड सं. 67 से 76)	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर	तहसीलदार (कृषि भूमि रूपान्तरण) जयपुर
		आमेर (वार्ड सं. 77)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आमेर	तहसीलदार, आमेर
		कोटपूतली	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटपूतली	तहसीलदार, कोटपूतली
		विराटनगर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, विराटनगर	तहसीलदार, विराटनगर
		शाहपुरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	तहसीलदार, शाहपुरा
		चौमू	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू	तहसीलदार, चौमू
		साभर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, साभर	तहसीलदार, फुलेरा, नु0 साभर
		फुलेरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूदू	तहसीलदार, मौजमाबाद
		जोबनेर	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आमेर	नायब तहसीलदार, साभर
		किशनगढ रेनवाल	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, साभर	तहसीलदार, किशनगढ रेनवाल
		बगरु	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, द्वितीय, जयपुर	तहसीलदार, सांगानेर
		चाकसू	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चाकसू	तहसीलदार, चाकसू
		बरसी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बरसी	तहसीलदार, बरसी
18.	जैसलमेर	जैसलमेर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	तहसीलदार, जैसलमेर
		पोकरण	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पोकरण	तहसीलदार, पोकरण
19.	जालोर	जालोर	उप खण्ड अधिकारी, जालोर	तहसीलदार, जालोर
		मीनमाल	उप खण्ड अधिकारी, मीनमाल	तहसीलदार, मीनमाल
		सांचोर	उप खण्ड अधिकारी, सांचोर	तहसीलदार, सांचोर
20.	झालावाड	झालावाड	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झालावाड	तहसीलदार, झालावाड
		झालापाटन	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झालावाड	तहसीलदार, झालापाटन
		पिडावा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पिडावा	तहसीलदार, पिडावा
		अकलेरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, अकलेरा	तहसीलदार, अकलेरा
		भवानीमंडी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भवानीमंडी	तहसीलदार, पचपहाड
21.	झुन्झुनू	झुन्झुनू	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	तहसीलदार, झुन्झुनू
		बगड	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	तहसीलदार, झुन्झुनू
		मण्डावा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	तहसीलदार, झुन्झुनू
		बिसाऊ	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मलसीसर	तहसीलदार, मलसीसर
		चिडावा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चिडावा	तहसीलदार, चिडावा
		पिलानी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सूरजगढ	तहसीलदार, सूरजगढ
		विद्याविहार	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सूरजगढ	तहसीलदार, सूरजगढ
		सूरजगढ	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सूरजगढ	तहसीलदार, सूरजगढ
		खेतडी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खेतडी	तहसीलदार, खेतडी
		उदयपुरवाटी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी	तहसीलदार, उदयपुरवाटी

क. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका/परिषद/निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
		नवलगढ	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नवलगढ	तहसीलदार, नवलगढ
		मुकुन्दगढ	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नवलगढ	तहसीलदार, नवलगढ
22.	जोधपुर	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सूरसागर, जोधपुर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर	1. तहसीलदार, जोधपुर (वार्ड सं. 1 से 6) 2. तहसीलदार (परिवर्त) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (वार्ड सं. 7 से 12) 3. तहसीलदार (दक्षिण) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (वार्ड सं. 13 से 17) 4. उप पंजीयक चतुर्थ, जोधपुर (वार्ड सं. 18 से 22 एवं 65)
		विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जोधपुर	अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट-शहर, जोधपुर	1. उप पंजीयक तृतीय, जोधपुर (वार्ड सं. 23 से 27) 2. तहसीलदार (उत्तर) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (वार्ड सं. 28 से 32) 3. तहसीलदार (पूर्व) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (वार्ड सं. 33 से 37) 4. तहसीलदार नू-अभिलेख, जोधपुर (वार्ड सं. 38 से 41 एवं 47,48)
		विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, सरदारपुरा	अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट-द्वितीय, जोधपुर	1. उप पंजीयक (प्रथम), जोधपुर (वार्ड सं. 42 से 46) 2. उप पंजीयक (द्वितीय), जोधपुर (वार्ड सं. 49 से 53) 3. सहायक नू-प्रबंध अधिकारी, जोधपुर (वार्ड सं. 54 से 58) 4. सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी, जोधपुर (वार्ड सं. 59 से 64)
		फलीदी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, फलीदी	तहसीलदार, फलीदी
		बिलाडा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बिलाडा	तहसीलदार, बिलाडा
		पीपाडशहर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पीपाडशहर	तहसीलदार, पीपाडशहर
		भोपालगढ (नवगठित)	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भोपालगढ	तहसीलदार, भोपालगढ
23.	करीली	करीली	उप खण्ड अधिकारी, करीली	तहसीलदार, करीली
		हिण्डीन	उप खण्ड अधिकारी, हिण्डीन	तहसीलदार, हिण्डीन
		टोडाभीम	उप खण्ड अधिकारी, टोडाभीम	तहसीलदार, टोडाभीम
24.	कोटा	कोटा	अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर), कोटा	1. तहसीलदार, नगर विकास न्यास, कोटा 2. तहसीलदार (नू-अभिलेख), कोटा
		सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा		1. उप पंजीयक प्रथम, कोटा 2. नायब तहसीलदार, लाडपुरा
		उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा		1. तहसीलदार, लाडपुरा 2. प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण शाला, कोटा
		कैथून	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा	तहसीलदार, लाडपुरा
		सांगोद	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांगोद	तहसीलदार, सांगोद
		रामगंजमण्डी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी	तहसीलदार, रामगंजमण्डी
		ईटावा (नवगठित)	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, ईटावा	तहसीलदार, पीपलदा
25.	नागौर	नागौर	उप खण्ड अधिकारी, नागौर	तहसीलदार, नागौर
		लाडनू	उप खण्ड अधिकारी, लाडनू	तहसीलदार, लाडनू
		डीडवाना	उप खण्ड अधिकारी, डीडवाना	तहसीलदार, डीडवाना
		नावा	उप खण्ड अधिकारी, नावा	तहसीलदार, नावा
		कुचामन	उप खण्ड अधिकारी, कुचामन	तहसीलदार, कुचामन
		मकराना	उप खण्ड अधिकारी, मकराना	तहसीलदार, मकराना
		परबतसर	उप खण्ड अधिकारी, परबतसर	तहसीलदार, परबतसर
		मेड़ता	उप खण्ड अधिकारी, मेड़ता	तहसीलदार, मेड़ता
		कुचेरा	उप खण्ड अधिकारी, खीवसार	तहसीलदार, खीवसार
		मूण्डवा	सहायक कलक्टर (मुख्यालय), नागौर	तहसीलदार, मूण्डवा
		डेगाना (नवगठित)	उप खण्ड अधिकारी, डेगाना	तहसीलदार, डेगाना
26.	पाली	पाली	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पाली	तहसीलदार, पाली
		जैतारण	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण	तहसीलदार, जैतारण

क. सं.	जिले का नाम	नगर पालिका/परिषद/निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
	1	2	3	3
		सोजत सिटी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	तहसीलदार, सोजत
		सादही	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, देसुरी	तहसीलदार, देसुरी
		बाली	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाली	तहसीलदार, बाली
		खुडाला फालना स्टेशन	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाली	तहसीलदार, बाली
		रानी खुर्द	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रानी	तहसीलदार, रानी
		सुमेरपुर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	तहसीलदार, सुमेरपुर
		तख्तगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	तहसीलदार, सुमेरपुर
27.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़	तहसीलदार, प्रतापगढ़
		छोटीसादही	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, छोटी सादही	तहसीलदार, छोटीसादही
28.	राजसमन्द	राजसमन्द	उप खण्ड अधिकारी, राजसमन्द	तहसीलदार, राजसमन्द
		नाथद्वारा	उप खण्ड अधिकारी, नाथद्वारा	तहसीलदार, नाथद्वारा
		आमेट	उप खण्ड अधिकारी, आमेट	तहसीलदार, आमेट
		देवगढ़	उप खण्ड अधिकारी, देवगढ़	तहसीलदार, देवगढ़
29.	सवाईमाधोपुर	सवाई माधोपुर	उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर	तहसीलदार, सवाई माधोपुर
		गंगापुरसिटी	उप जिला कलेक्टर, गंगापुरसिटी	तहसीलदार, गंगापुरसिटी
30.	सीकर	रामगढ़ शेखावाटी	उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़ शेखावाटी	तहसीलदार, रामगढ़ शेखावाटी
		फतेहपुर	उप खण्ड अधिकारी, फतेहपुर	तहसीलदार, फतेहपुर
		लक्ष्मणगढ़	उप खण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़	तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़
		सीकर	उप खण्ड अधिकारी, सीकर	तहसीलदार, सीकर
		लोसल	उप खण्ड अधिकारी, दांतरामगढ़	तहसीलदार, दांतरामगढ़
		रीगस	उप खण्ड अधिकारी, खण्डेला	तहसीलदार, खण्डेला
		खण्डेला	उप खण्ड अधिकारी, खण्डेला	तहसीलदार, खण्डेला
		नीमकाथाना	उप खण्ड अधिकारी, नीमकाथाना	तहसीलदार, नीमकाथाना
		श्रीमाधोपुर	उप खण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	तहसीलदार, श्रीमाधोपुर
31.	सिरोही	सिरोही	उप खण्ड अधिकारी, सिरोही	1. तहसीलदार, सिरोही 2. नायब तहसीलदार, सिरोही
		शिवगंज	उप खण्ड अधिकारी, शिवगंज	1. तहसीलदार, शिवगंज 2. नायब तहसीलदार, शिवगंज
		पिण्डवाड़ा	उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाड़ा	1. तहसीलदार, पिण्डवाड़ा 2. नायब तहसीलदार, पिण्डवाड़ा
		आबू पर्वत	उप खण्ड अधिकारी, आबू पर्वत	1. तहसीलदार, आबूरोड 2. नायब तहसीलदार, आबूरोड
		आबू रोड	उप खण्ड अधिकारी, रेवदर	1. तहसीलदार, आबूरोड 2. नायब तहसीलदार, आबूरोड
32.	टोंक	टोंक	उप खण्ड अधिकारी, टोंक	तहसीलदार, टोंक
		निवाई	उप खण्ड अधिकारी, निवाई	तहसीलदार, निवाई
		मालपुरा	उप खण्ड अधिकारी, मालपुरा	तहसीलदार, मालपुरा
		टोडारायसिंह	उप खण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह	तहसीलदार, टोडारायसिंह
		देवली	उप खण्ड अधिकारी, देवली	तहसीलदार, देवली
		उनियारा	उप खण्ड अधिकारी, उनियारा	तहसीलदार, उनियारा, मु० अलीगढ़
33.	उदयपुर	सलुम्बर	उप खण्ड अधिकारी, सलुम्बर	तहसीलदार, सलुम्बर
		भीण्डर	उप खण्ड अधिकारी, बल्लभनगर	तहसीलदार, बल्लभनगर
		कानोड़	उप खण्ड अधिकारी, बल्लभनगर	तहसीलदार, बल्लभनगर
		फतेहनगर-सनवाड़	उप खण्ड अधिकारी, मावली	तहसीलदार, मावली
		उदयपुर	1. अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) उदयपुर	1. तहसीलदार, देवस्थान 2. तहसीलदार, नगर विकास प्रन्थास 3. तहसीलदार, सा. नि. वि., उदयपुर
			2. उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा	1. तहसीलदार, गिर्वा 2. तहसीलदार, बडगांव 3. तहसीलदार, आर.एस.एम.एम

आज्ञा से,

 (अशोक कुमार जैन)
 सचिव
 राज्य निर्वाचन आयोग
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(3)(1)न.पा. / रानिआ / 94 / I / 2346-54

दिनांक: 26/5/14

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव / उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगररीय एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), राजस्थान।
6. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
7. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।
8. समस्त अधिकारीगण / शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
9. गार्ड फाईल।

(अशोक कुमार जैन) 26.5.2014.
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

State Election Commission Rajasthan

FORMAT - B

Name of District:

Name of Council / Corporation :

Contact Name / Email / Number (ERO):

Contact Name / Email / Number (IA):

(please provide Parts from Assembly Constituency which are used for Council / Corporation Elections)

version, 1.1

1	2	3	4
Sr. No.	Assembly Constituency No.	From Part No.	To Part No.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

Draft Electoral Roll Control Chart

Name of District :

Name of Council / Corporation :

FORMAT - C

Please use this template to create electoral rolls. Please enter values in english. Please do not change or make copies of this template.

Please start filling the template from Sr. No. 1

version: 1.1

1	2	3	4	5	6	7	8
Sr. No.	Assembly Constituency No.	Assembly Part No.	From Sr.No.	To Sr.No.	Ward No.	Ward Part No.	Total
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							

Operation Manual

e-Suchi ULB 6.0

Voter List Bifurcation Software

State Election Commission Rajasthan

Ultimate Information Technology Pvt. Ltd. Pune

Contents

Introduction	3
Login Page	3
Changing Preferences	4
e-Suchi Home	5
Setup	5
Set a Name for Election	6
Create Wards and Ward Parts	6
Upload Document B	7
View Summary of Base List	8
Draft Voter List	8
Upload Document C	9
View Remaining Voters	9
View Draft Voters List	10
View Draft Voter List Summary	10
Issue Certificate for Draft Roll Completion	11
Final Voter List	11
Uploading Document E	12
Adding new voters to voters list (Pink Pad Data Entry)	12
View Filter List of New Voters	13
Search Voters in Draft Voters List to Edit or Delete	13
Generate a Final Voters List with Supplement	14
View Filter Final Voters List	14
Issue Certificate for Final Roll Completion	15
Monitoring	15
Document Status	16
New Voters Summary	16
Citizen Voter Summary	17
Adminstration	17
Tech-Adminstration	17

Introduction

e-Suchi web application software is hosted by State Election Commission of Rajasthan to bifurcate ECI electoral roll into ward part wise voters list. This application enables SEC to exercise centralized monitoring of Voters List generation process. This also helps the operational staff to avoid duplicate entries in the voters and irradiate chances of voters being left out from voters list.

Voters list are generated and stored in database and at the end are produced as Printable Photo Electoral Roll format (PDF). Voters lists databases are also transformed later on to form a search engine optimized database.

Readers will also find steps where e-Suchi Doc-Gen windows application is shown. This application is part of SECs production house and is used for generating printable documents. This application processes the data in distributed manner. Multiple instances of this application can be run, each on separate computer, simultaneously to accelerate the process of PDF generation.

This operation manual shall help you with step by step instructions to prepare ward wise voters list from ECI electoral roll. Each web form does have detail information on each step voter list preparation process.

Login Page

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
State Election Commission, Rajasthan

e-Suchi | ULS

Please Enter Your Login Credentials

User Name:

Password:

☐ Remember me (30 days)

Copyright © 2014 ULS. All Rights Reserved. Rajasthan, India.

Preparing voter list is a confidential and sensitive work. Only authorized users are allowed access. Usernames and passwords are created for each local body and provided during training. For security reasons credentials will not be provided over phone / email.

e-Suchi maintains roll based structure for authorizing its users. In level of access from highest to lowest is as:

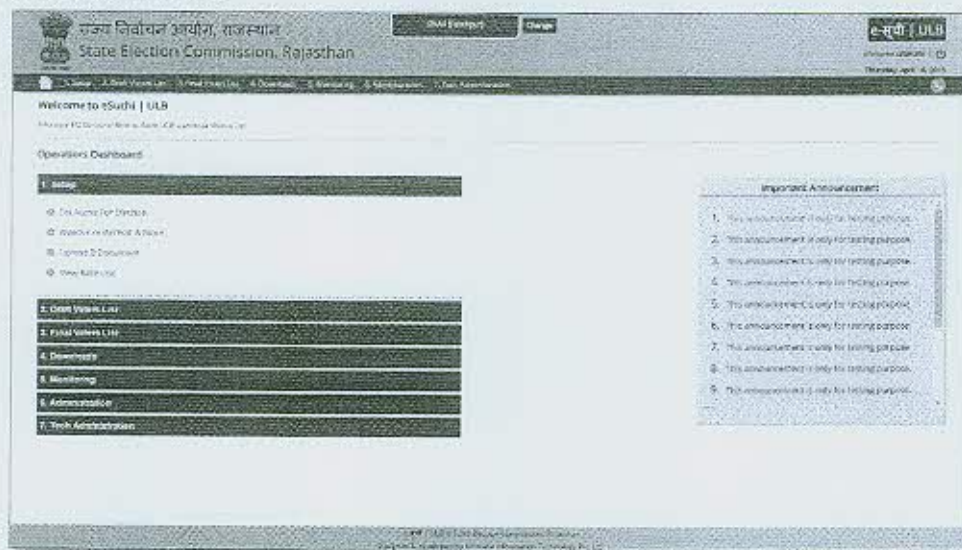
1. SEC Admin
2. District Admin
3. Operations Admin

Changing Preferences



Some special users have access to more than a single local body. E.g. District Level Monitors. Such users will have to select the local body before viewing or changing information. This is the first page displayed after login. Same page can be used for switching between local bodies.

e-Suchi Home



Setup



Set a Name for Election

This page is used to set a name for election in Unicode (Hindi). This will print on voter list (PDF).

Step 1: Select Council/Corporation (LB) from the list.

Step 2: Write name of Council/Corporation (LB)

Step 3: Click on save button to set name.

Create Wards and Ward Parts

This page is used to create wards/wards parts, upload map of ward/ward parts and to set name for polling booth name in both English & Unicode (Hindi).

Step 1: Create Wards for Council/Corporation (LB).

Step 2: Create Ward Parts for each ward.

Step 3: Upload ward map for each ward (Optional).

Step 4: Upload map for each ward parts and set name for polling booth name in both English & Unicode (Hindi). This is mandatory to upload ward part map.

Upload Document B

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
State Election Commission, Rajasthan

1. Search 2. Data Validation 3. Download List 4. Download 5. Monitoring 6. Administration 7. User Management

Upload B Document

6. Download List for Data Validation (File of Download List is required for Upload B Document)

- 1. Upload B Document is a CSV file which is required to upload data. Please refer to the instructions for uploading documents.
- 2. Upload B Document is a CSV file which is required to upload data. Please refer to the instructions for uploading documents.
- 3. Upload B Document is a CSV file which is required to upload data. Please refer to the instructions for uploading documents.

7. Please Upload B Document (File)

8. Please Upload B Document (File)

Sl. No.	Ward Name	Ward Part	Ward Part Name
1	10	1	1
2	10	2	2
3	10	3	3
4	10	4	4
5	10	5	5
6	10	6	6
7	10	7	7
8	10	8	8
9	10	9	9
10	10	10	10
11	10	11	11
12	10	12	12
13	10	13	13
14	10	14	14
15	10	15	15
16	10	16	16
17	10	17	17
18	10	18	18
19	10	19	19
20	10	20	20

Generate Base List

8/11/2015 10:10:10 AM

This page is used to upload document B for generating base list.

Step 1: Upload document B in comma delimited (.csv) format.

Step 2: Click on Generate Base List button.

View Summary of Base List

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
State Election Commission, Rajasthan

Home | 1. Setup | 2. Draft Voters List | 3. Final Voters List | 4. Downloads | 5. Monitoring

View Base List

Base List is available for download (PDF format). The summary report shows the list of voters for the Constituency. The information is shown in product of uploading Base List.

- It shows larger voter list. A voter list is shown based on the list of voters obtained from the Base List.
- It shows the list of voters who are not in the list of voters obtained from the Base List.
- It shows the list of voters who are not in the list of voters obtained from the Base List.

Download summary report of Base List (PDF format). Download summary report of Base List.

Download summary report of Base List (PDF format). Download summary report of Base List.

Base List Summary

S.No.	Constituency	Constituency Code	Constituency Name	Total No. of Voters	Status
1	Jaipur	01	Jaipur	1,00,000	✓
2	Jaipur	02	Jaipur	1,00,000	✓
3	Jaipur	03	Jaipur	1,00,000	✓
4	Jaipur	04	Jaipur	1,00,000	✓
5	Jaipur	05	Jaipur	1,00,000	✓
6	Jaipur	06	Jaipur	1,00,000	✓
7	Jaipur	07	Jaipur	1,00,000	✓
8	Jaipur	08	Jaipur	1,00,000	✓
9	Jaipur	09	Jaipur	1,00,000	✓
10	Jaipur	10	Jaipur	1,00,000	✓
11	Jaipur	11	Jaipur	1,00,000	✓
12	Jaipur	12	Jaipur	1,00,000	✓
13	Jaipur	13	Jaipur	1,00,000	✓
14	Jaipur	14	Jaipur	1,00,000	✓
15	Jaipur	15	Jaipur	1,00,000	✓

This page is used to view summary report of base list.

Draft Voter List

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
State Election Commission, Rajasthan

Home | 1. Setup | 2. Draft Voters List | 3. Final Voters List | 4. Downloads | 5. Monitoring

Welcome to

Bifurcate ECI Elec

Operations D

1. Upload C Document

2. View Draft Voter List

3. Draft Ward Part Summary

4. Draft Roll Completion Certificate

5. Draft Voters List

Upload Document C

[illegible]

This page is used to upload document C for generating a draft list.

Step 1: Upload document C in comma delimited (.csv) format.

Step 2: Click on Generate Draft List button.

[View Remaining Voters](#)[illegible]

This page is used to view summary report of remaining voters which are not used in election yet.

View Draft Voters List

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
State Election Commission, Rajasthan

Search Ward No.

Draft Voters List

Draft Voters List is generated by the State Election Commission, Rajasthan. This is a proposed list and is subject to change.

1. Select Ward Number:

2. Draft Voters List:

S.No.	Ward No.	Ward Part No.	Constituency No.	Polling Station	Polling Station Name	Age	Gender	Religion	Nationality	Address	Constituency No.	Polling Station	Serial in Part
1	1	1	1	1	1	25	M	H	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	26	M	H	1	1	1	1	2
3	1	1	1	1	1	27	M	H	1	1	1	1	3
4	1	1	1	1	1	28	M	H	1	1	1	1	4
5	1	1	1	1	1	29	M	H	1	1	1	1	5
6	1	1	1	1	1	30	M	H	1	1	1	1	6
7	1	1	1	1	1	31	M	H	1	1	1	1	7
8	1	1	1	1	1	32	M	H	1	1	1	1	8
9	1	1	1	1	1	33	M	H	1	1	1	1	9
10	1	1	1	1	1	34	M	H	1	1	1	1	10
11	1	1	1	1	1	35	M	H	1	1	1	1	11
12	1	1	1	1	1	36	M	H	1	1	1	1	12
13	1	1	1	1	1	37	M	H	1	1	1	1	13
14	1	1	1	1	1	38	M	H	1	1	1	1	14
15	1	1	1	1	1	39	M	H	1	1	1	1	15

This page is used to view ward part wise draft voter list.

Step 1: Select ward number from list.

Step 2: Select ward part number from list.

View Draft Voter List Summary

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
State Election Commission, Rajasthan

Search Ward No.

Draft Ward Part Summary

Draft Ward Part Summary is generated by the State Election Commission, Rajasthan. This is a proposed list and is subject to change.

1. Select Ward Number:

2. Draft Ward Part Summary:

S.No.	Ward No.	Ward Part No.	Constituency No.	Polling Station	Polling Station Name	Age	Gender	Religion	Nationality	Address	Constituency No.	Polling Station	Serial in Part
1	1	1	1	1	1	25	M	H	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	26	M	H	1	1	1	1	2
3	1	1	1	1	1	27	M	H	1	1	1	1	3
4	1	1	1	1	1	28	M	H	1	1	1	1	4
5	1	1	1	1	1	29	M	H	1	1	1	1	5
6	1	1	1	1	1	30	M	H	1	1	1	1	6
7	1	1	1	1	1	31	M	H	1	1	1	1	7
8	1	1	1	1	1	32	M	H	1	1	1	1	8
9	1	1	1	1	1	33	M	H	1	1	1	1	9
10	1	1	1	1	1	34	M	H	1	1	1	1	10
11	1	1	1	1	1	35	M	H	1	1	1	1	11
12	1	1	1	1	1	36	M	H	1	1	1	1	12
13	1	1	1	1	1	37	M	H	1	1	1	1	13
14	1	1	1	1	1	38	M	H	1	1	1	1	14
15	1	1	1	1	1	39	M	H	1	1	1	1	15

This page is used to view ward part wise summarized report of draft voter list.

Issue Certificate for Draft Roll Completion

The screenshot shows the official website of the State Election Commission, Rajasthan. The header includes the state emblem and the text 'राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान' and 'State Election Commission, Rajasthan'. A navigation bar contains links for Home, Draft Voters List, Final Voters List, Downloads, and Monitoring. The main content area is titled 'Draft Roll Completion Certificate' and includes a 'Verification Certificate' section. Below this, there is a 'Report Information' section with a table containing columns for 'Name', 'Address', 'Gender', 'Age', 'Caste', and 'Religion'. A 'Generate' button is located at the bottom of the table.

Final Voter List

The screenshot shows the official website of the State Election Commission, Rajasthan. The header includes the state emblem and the text 'राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान' and 'State Election Commission, Rajasthan'. A navigation bar contains links for Home, Draft Voters List, Final Voters List, Downloads, and Monitoring. The main content area is titled 'Welcome to e-Suchi | ULB' and includes a 'Bifurcate ECI Electoral Rolls to form ULB' section. Below this, there is an 'Operations Dashboard' section with a table containing columns for 'Name', 'Address', 'Gender', 'Age', 'Caste', and 'Religion'. A 'Generate' button is located at the bottom of the table.

Uploading Document E

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
State Election Commission, Rajasthan

Upload E Document

- 1. Before the document is uploaded, please check the file name, file size and file type. The file name should be in English and should not contain any special characters. The file size should be less than 1 MB. The file type should be .csv.
- 2. The document should be uploaded in the following format: (Name of the Constituency) (Name of the Ward) (Name of the Voter) (Name of the Polling Station) (Name of the Polling Station Officer) (Name of the Polling Station Officer's Signature) (Name of the Polling Station Officer's Stamp) (Name of the Polling Station Officer's Date and Time) (Name of the Polling Station Officer's Mobile Number) (Name of the Polling Station Officer's Email Address) (Name of the Polling Station Officer's Address) (Name of the Polling Station Officer's Contact Information) (Name of the Polling Station Officer's Other Details) (Name of the Polling Station Officer's Remarks) (Name of the Polling Station Officer's Signature) (Name of the Polling Station Officer's Stamp) (Name of the Polling Station Officer's Date and Time) (Name of the Polling Station Officer's Mobile Number) (Name of the Polling Station Officer's Email Address) (Name of the Polling Station Officer's Address) (Name of the Polling Station Officer's Contact Information) (Name of the Polling Station Officer's Other Details) (Name of the Polling Station Officer's Remarks)

Click here to upload the document.

Progress bar: 0% (0.0 MB) / 1.0 MB

This page is used to upload document E for shifting of voters from ward to ward or ward part to ward part.

Step 1: Upload document E in comma delimited (.csv) format.

Adding new voters to voters list (Pink Pad Data Entry)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
State Election Commission, Rajasthan

Pinkpad Data Entry Form

1. Constituency Number: [Dropdown Menu]

2. Poll Number: [Text Field]

3. Serial No.: [Text Field]

4. Gender: [Dropdown Menu]

5. Ward Number: [Dropdown Menu]

6. Ward Part No.: [Text Field]

7. Voter Name (English): [Text Field]

8. Voter Name (Hindi): [Text Field]

9. Relative Name (English): [Text Field]

10. Relative Name (Hindi): [Text Field]

11. Father's Name: [Text Field]

12. Gender: [Dropdown Menu]

13. Age: [Text Field]

14. Photo Upload: [Image Upload Button]

15. Upload Voter Photo: [Text Field]

Save Cancel

This page is used for data entry of new voter (Pink Pad) of Council/Corporation.

Step 1: Fill all information related to new voter.

Step 2: Attach voter photo in .jpg file format & size of file should be less than 1 MB.

Step 3: Click on save button for add new voter.

View Filter List of New Voters

Pink Pad Search

Ward Number: Ward Part No.: Search by Voter Name:

S.No.	Ward Part No.	Voter Name	Relation Name	Sex	Age	Religion	House No.	Address	Voter ID	Date
1	1	अमित	अमित	M	25	H	24	अमित अशोक चौधरी	10011021	2015
2	1	अमित	अमित	M	25	H	24	अमित अशोक चौधरी	10011021	2015

This page will show the ward part wise list of new voter (Pink Pad). User can also search new voter by their first name.

Search Voters in Draft Voters List to Edit

Citizen Search

Ward Number: Ward Part No.: Search by Voter No.:

S.No.	Ward Part No.	Voter Name	Relation Name	Sex	Age	Religion	House No.	Address	Voter ID	Date
1	1	अमित	अमित	M	25	H	24	अमित अशोक चौधरी	10011021	2015
2	1	अमित	अमित	M	25	H	24	अमित अशोक चौधरी	10011021	2015

This page is used to modify draft voter information like name, age, house number, voter photo, etc & also delete draft voter due to some reason.

Generate a Final Voters List with Supplement

This page is used to generate final voter list.

Step 1: Check that document E, Pink Pad & Citizen Edit has been lock. This will show in given table.

Step 2: Click on Generate Final List button.

View Filter Final Voters List

This page shows filtered ward part wise final voter list.

Step 1: Select ward number from list.

Step 2: Select ward part number from list.

Issue Certificate for Final Roll Completion



Monitoring



Document Status

Document Completion Status

1. Please select District: Please Select

2. Please select Council/Corporation: Please Select

S.No.	District	Council/Corporation	Ward No.	Ward Part No.	Total Voters
1	Jaipur	Jaipur			
2	Jaipur	Kirti Nagar			
3	Jaipur	Kirti Nagar			
4	Jaipur	Kirti Nagar			
5	Jaipur	Kirti Nagar			
6	Jaipur	Kirti Nagar			
7	Jaipur	Kirti Nagar			
8	Jaipur	Kirti Nagar			
9	Jaipur	Kirti Nagar			
10	Jaipur	Kirti Nagar			
11	Jaipur	Kirti Nagar			
12	Jaipur	Kirti Nagar			

This page is used to view document status of each Council/Corporation. User will also filter list by selecting District and Council/Corporation from the list.

New Voters Summary

New Voters Summary

1. Select District: Jaipur

2. Select Council/Corporation: Please Select

3. Select Ward Number: 1

4. Select Ward Part Number: 1

5. Select Ward Part Number: 1

S.No.	District	Council/Corporation	Ward No.	Ward Part No.	Total Voters
1	Jaipur	Jaipur	Ward No. 1	1	1
2	Jaipur	Jaipur	Ward No. 1	2	1
3	Jaipur	Jaipur	Ward No. 1	3	1
4	Jaipur	Jaipur	Ward No. 2	1	1
5	Jaipur	Jaipur	Ward No. 3	1	1

This page shows summarized report of new voters (Pink Pad).

Citizen Voters Summary

Citizen Summary

Search District: [Dropdown] State: [Dropdown] Ward Number: [Text] Polling Station Number: [Text]

Modified Voters Summary (2014) Deleted Voters Summary (2014) Deleted Voters Summary (2012)

S.N.	District	Constituency	Ward No.	Ward Part No.	Total Voters
1	UDPI	UDPI	1	1	1
2	UDPI	UDPI	2	2	2

This page shows summarized report of citizen voters.

Administration

State Election Commission, Rajasthan

1. Setup 2. Draft Voters List 3. Final Voters List 4. Downloads 5. Monitoring 6. Administration 7. Tech

Welcome to e-Suchi | ULB

Bifurcate ECI Electoral Rolls to form ULB Ward Part Wise Voters List

1. Contact Information
2. Revert Locks

Tech-Administration

State Election Commission, Rajasthan

1. Setup 2. Draft Voters List 3. Final Voters List 4. Downloads 5. Monitoring 6. Administration 7. Tech Administration

Welcome to e-Suchi | ULB

Bifurcate ECI Electoral Rolls to form ULB Ward Part Wise Voters List

Operations Dashboard

1. Setup

Set Name For Election

1. Health Monitor
2. Manage Users
3. Update Contact Info
4. Create Users
5. Attach Users for Election
6. Change Password
7. Add Important Notification

निर्वाचक नामावली, 2015

नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिका का नाम :															
विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :															
नगरपालिका के वार्ड संख्या एवं आरक्षण की स्थिति :					भाग सं :										
1. पुनरीक्षण का विवरण :															
पुनरीक्षण का वर्ष :															
पुनरीक्षण का प्रकार :															
अर्हता तिथि :															
अंतिम प्रकाशन की तिथि :															
2. वार्ड/भाग का विवरण :															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>मुख्य गांव</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>पटवार सर्किल</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>कानूनगों सर्किल</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>तहसील</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>जिला</td> <td>:</td> </tr> </table>						मुख्य गांव	:	पटवार सर्किल	:	कानूनगों सर्किल	:	तहसील	:	जिला	:
मुख्य गांव	:														
पटवार सर्किल	:														
कानूनगों सर्किल	:														
तहसील	:														
जिला	:														
3. मतदान केन्द्र का विवरण :															
मतदान केन्द्र की संख्या व नाम :															
मतदान केन्द्र के भवन का नाम व पता :															
4. मतदाताओं का विवरण :															
आरंभिक कम संख्या	अंतिम कम संख्या	मतदाताओं की संख्या													
		पुरुष	स्त्री	अन्य	योग										

निर्वाचक नामावली, 2015

नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिका का नाम

विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :

नगरपालिका वार्ड संख्या :

भाग सं :

(नजरी नक्शा अंकित किया जाना है)

निर्वाचक नामावली, 2015

नगरनिगम / नगरपरिषद / नगरपालिका का नाम
 विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :
 नगरपालिका वार्ड संख्या :

कोलोनी / बस्ती / मौहल्ले का नाम :

भाग सं :

1.	2.	3.
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.	11.	12.
13.	14.	15.
16.	17.	18.
19.	20.	21.
22.	23.	24.
25.	26.	27.
28.	29.	30.

पृ. सं. 1/3

निर्वाचक नामावली, 2015

नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिका का नाम

विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :

नगरपालिका वार्ड संख्या :

भाग सं :

कॉलोनी/बस्ती/मौहल्ले का नाम :

31.	32.	33.
34.	35.	36.
37.	38.	39.
40.	41.	42.
43.	44.	45.
46.	47.	48.
49.	50.	51.
52.	53.	54.
55.	56.	57.
58.	59.	60.

पृ. सं. 1/4

वाँट संख्या	विधान संभा की अखतन सूची (2014) के अनुसार मतदाताओं की संख्या (न एल. वाई से संबंधित)	प्राथम प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या	दावे/आपत्ति का विवरण		निस्सारण		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		स्वीकार		अस्वीकार		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		युटि संबंधी आपत्ति		नाम हटाने संबंधी आपत्ति			
----------------	---	---	----------------------	--	----------	--	----------------------------	--	--------------------	--	---------	--	----------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	---------	--	----------	--	----------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	--	--

जिले का नाम:
नगरपालिका चुनाव 2015
मतदाताओं की संख्या दावे/आपत्तियों का विवरण
नगरपालिका का नाम:

